Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **भैरूदास**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** नं0 **030** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील अप्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। न्याय हित में सुनवाई का अवसर दिया जाता है। पूर्व में अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 30.08.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रालवी है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी **अमित नाहर** ने आदेशिका पर **NOT PRESS** अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलाया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो को एकतरफा सुना गया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 89(02) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 20.09.2022	